आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

09.07.19

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्विटेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–54/2018

त्रिवेणी कुमार –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचॉची अंचल अन्तर्गत मौजा–तोपचॉची, थाना नं0–49, खाता नं0–118, प्लॉट नं0–2341/2, रकवा–0.0172 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर मौखिक एवं लिखित पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि मौजा–तोपचॉची, थाना नं0–49, खाता नं0–118, प्लॉट नं0–2341/2, रकवा–4¼ डी0 में से 0.0172 एकड़ जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। सारा कागजात, न्यायालय द्वारा दी गई जजमेंट की कॉपी भू–अर्जन कार्यालय में जमा कर चूँका हूँ, परन्तु विभाग द्वारा इसे Title Suit बताकर न्यायालय के जजमेंट को अनदेखा कर रहे है। तथा अधिकार से वंचित कर रहे है। आवेदक द्वारा शेष भूमि को बिकि भी किया गया है। आवेदक द्वारा अविलम्ब आवासीय दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में यह वाद आर्बिट्रेशन से संबंधित नहीं है। अतः वाद को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner